<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

निर्वाचन आयोग ने ओपीनियन और एक्जिट पोल पर लगाया रोक

दीव 18 अप्रैल, 2019: भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में ओपीनियन पोल और एक्जिट पोल पर दिनांक 11 अप्रैल को पूर्वाह्न 7.00 बजे से दिनांक 19 मई को अपराह्न 6.30 बजे तक रोक लगा रखी है। इस अधिसूचना की जानकारी देते हुए दीव समाहर्ता एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हेमंत कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जारी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी राष्ट्रीय अथवा लोकल चैनल या समाचार-पत्र चुनाव से जुड़े ओपीनियन पोल और एक्जिट पोल का प्रसारण या प्रकाशन नहीं करेगा।

दीव के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हेमंत कुमार ने बताया कि चुनाव अवधि के दौरान ओपीनियन पोल और एक्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण से मतदाताओं की मानसिकता प्रभावित होती है। चुनाव आयोग ने प्रिंट मीडिया, चैनलों और सोशल मीडिया पर चलाये जाने वाले न्यूज के संबंध में भी सख्ती बरतते हुए चुनाव संबंधी एक्जिट पोल पर एतराज जताया है। मतदाता की मानसिकता को प्रभावित करनेवाला कोई भी समाचार, ओपीनियन पोल या एक्जिट पोल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126-क के तहत प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन अपराध है। अत: मतदान अवधि के दौरान चुनाव संबंधी ओपीनियन या एक्जिट पोल को दिखाना गैर-कानूनी है। श्री हेमंत कुमार जी ने सभी सोशल मीडिया चलाने वाले संचालकों को हिदायत दी है कि वे 19 मई को शाम 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार का ओपीनियन पोल या एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण ना करें। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ श्री हेमंत कुमार जी ने दीव के लोगों से अपील की है कि वे 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और राष्ट्र-निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।